

जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश

1 आवेदन पत्र के संबंध में :-

- 1.1 आवेदक वेबसाइट www.cg.nic.in/mahasamund में विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर आवेदन प्रस्तुत करें।
- 1.2 आवेदन रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाना है, इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 1.3 आवेदन शुल्क "जिला स्वास्थ्य समिति महासमुन्द" शाखा भारतीय स्टेट बैंक, महासमुन्द के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा।
- 1.4 आवश्यकता अनुसार लिखित/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची तथा परीक्षा स्थान की जानकारी समय-समय पर जिले की वेबसाइट www.cg.nic.in/mahasamund में उपलब्ध कराई जावेगी।
- 1.5 आवश्यकतानुसार लिखित/कौशल परीक्षा जिला मुख्यालय में ली जावेगी जिसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों किस भी प्रकार का यात्रा/दैनिक भत्ता भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 1.6 विज्ञापन में दर्शित पदों में 16500 रुपये या 16500 रुपये से अधिक संविदा वेतन के पदों हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए एवं प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगे। मूल निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य राज्य के निवासियों को अवसर दिया जावेगा। 16500 रुपये से कम संविदा वेतन के पदों हेतु आवेदक को जिले का मूल निवासी होना चाहिए।
- 1.7 अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे।
- 1.8 आवेदन के साथ वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2. आयु सीमा :-

- 2.1 01 जनवरी 2017 को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2017 से की जावेगी। इस आयु सीमा में सभी प्रकार की छूट सम्मिलित है।
- 2.2 संविदा भर्ती के संदर्भ में आरक्षण व अन्य शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2014 के सभी नियम व शर्तों के अनुसार लागू होंगे।

3 चयन प्रक्रिया :-

- 3.1 प्राप्त आवेदनो में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत किया जावेगा।

क्रमांक	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग/साक्षात्कार/लिखित परीक्षा लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना

- 3.2 सत्यापन के समय निम्न अभिलेखों के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है -

- 10 वीं की अंक सूची।
- 12 वीं की अंक सूची।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंकसूची।
- संबंधित डिग्री।
- संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी का जाती प्रमाण पत्र।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- अनुभव प्रमाण पत्र
- वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- अन्य संलग्न दस्तावेज।

01/02/17

16/2/17

9/2

- 3.3 अनुभव केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान, सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों या उपक्रमों का ही मान्य होगा।
- 3.4 नर्सिंग प्रशिक्षित प्राप्त मितानीन अभ्यर्थियों को मितानीन के रूप में 01 वर्ष कार्य करने पर 02 अंक देते हुए अधिकतम 10 अंक दिया जायेगा। कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर का ही मान्य होगा।
- 3.5 प्रति 01 वर्ष के कार्यानुभव पर 02 अंक तथा 06 माह से अधिक एवं 01 वर्ष से कम के कार्यानुभव पर 01 अंक दिया जायेगा
- 3.6 Counsellor (ICTC) एवं Lab Technician (ICTC) हेतु अनुभव में अधिकतम 15 अंक है, प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 03 अंक निर्धारित है।
- 3.7 चयन प्रक्रिया हेतु अंको का निर्धारण :-

क्र.	पदनाम	चयन प्रक्रिया हेतु अंक निर्धारण
1	Data Entry Operator(NCD/IDSP)	1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत - 70 अंक 2. कौशल परीक्षा - 20 अंक 3. अनुभव - 10 अंक (प्रत्येक 01 वर्ष हेतु 02 अंक)
2	Monitoring & Evaluation Officer	
3	Case Registry Assistant	
4	City Accountant (NUHM)	
5	PADA	
6	Staff Nurse (NCD/NUHM)	1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत - 60 अंक 2. कौशल परीक्षा - 30 अंक 3. अनुभव - 10 अंक (प्रत्येक 01 वर्ष हेतु 02 अंक)
7	Community Nurse	
8	ANM(RBSk)	
9	ANM (NUHM)	
10	Lab Technician (NCD)	1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत - 70 अंक 2. कौशल परीक्षा - 20 अंक 3. अनुभव - 10 अंक (प्रत्येक 01 वर्ष हेतु 02 अंक)
11	Lab Technician (RBSK)	
12	Medical Officer SNCU/NUHM	
13	Physiotherapist (NCD)	1. शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत - 90 अंक 2. अनुभव - 10 अंक (प्रत्येक 01 वर्ष हेतु 02 अंक)
14	Counsellor (NCD)	
15	Ward Orderly	
16	Yoga Trainer	
17	RMNCH-COUNSLER	
18	Audiologist	
19	Instructor for the young Hearing Impaired Children	
20	Audiometric Assistant	
21	Physiotherapist(NLEP)	
22	Medical Officer (Part Time)(NUHM)	
23	Feeding Demonstrator	
24	Counselor (Blood Bank)	
25	Dental Assistant	
26	TBHV (RNTCP)	
27	Lab Technician (ICTC)	
28	Counsellor (ICTC)	

नोट - जिन पदों पर कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें निर्धारित अंकों का 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 50 प्रतिशत अंक प्राप्त न करने की स्थिति में चयन हेतु अपात्र माना जायेगा।

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश :-

- 1 मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
- 2 संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त संविदा वेतन व अन्य राशि प्रावधानित ROP अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
- 3 यह नियुक्ति संविदा आधार पर दिनांक 31 मार्च 2017 तक के लिए की जावेगी, कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
- 4 चयनित अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा एक माह के अग्रिम नोटिस या एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी अथवा अधिकारी/कर्मचारी एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का वेतन जमा कर स्वयं पद त्याग कर सकता है।
- 5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (टीप :- स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होंगे, किन्तु उन्हें आवश्यकतानुसार सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा), इस विषय पर छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 6 उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।
- 7 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का परफारमेन्स अपराइज़ल नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- 8 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन/चयन अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- 9 उक्त पदों के लिए प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष या नवीन भर्ती होने (जो पहले हो) तक होगी।
- 10 भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति को होगा।
- 11 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 06 के अनुसार वे अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है।
- 12 एक से अधिक पदों के लिये आवेदन देने की स्थिति में प्रत्येक पद के लिए पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा, प्रेषित आवेदन के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, संवर्ग स्पष्ट लिखा होना चाहिए।
- 13 एक से अधिक पदों पर आवेदन किये जाने पर प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक शुल्क जमा किया जाना होगा।
- 14 आवेदन पत्र स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ कार्यालयीन समय शाम 5.30 बजे तक दिनांक 23/2/2017 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय परिसर खरोरा, महासमुन्द, जिला महासमुन्द छ.ग के पते रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रेषित/जमा कर सकते हैं।
- 15 निर्धारित तिथि व कार्यालयीन समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 16 नियुक्ति संबंधि जानकारियां समय-समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी।
- 17 आवेदन के साथ वांछित शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंकसूची की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 18 निःशक्तजन अभ्यर्थियों को शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण दिया जायेगा।
- 19 विज्ञापित संविदा पदों की संख्या में बैकलॉग पद शामिल है।
- 20 इसी जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत समान पद/समान वेतन में कार्यरत अधि./कर्मचारी को भर्ती प्रक्रिया में पात्र होने की स्थिति में आगामी प्रक्रिया हेतु अपनी वर्तमान पदस्थापना स्थल से त्याग पत्र देना अनिवार्य है।

23/2/17